रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 1998/वैशाख 11, 1920

No. 151] **NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 1998/VAISAKHA 11, 1920**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 3/98

नई दिल्ली, 1 मई, 1998

सा॰ का॰ नि॰ 233 (अ).—तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68घ एवं 68छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खण्ड, 3 (i) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 24 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰ नि॰ 228 (अ) में केन्द्रीय सरकार नामत: निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपरोक्त अधिसूचना में, मुख्यालय तथा अधिकारिता क्षेत्र की सारणी में, निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ा जाएगा—

"बशर्ते कि ऐसा मामला हो जहां आरोपी किसी एक सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता में आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निरुद्ध किया गया हो तथा उसकी या उसके संबंधियों/सहयोगियों की संपत्ति अवैध रूप से अर्जित दूसरे सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता में आने वाले स्थान में स्थित हो, ऐसी स्थिति में मामले पर उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा जिसकी अधिकारिता में आरोपी को निरुद्ध किया गया है।"

[फा॰ सं॰ 6(6)/97-सक्षम प्राधिकारी]

माला दत्त, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION NO. 3/98

New Delhi, the 1st May, 1998

G.S.R. 233 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) and section 68 D and section 68 G of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification dated

the 24th April, 1997 of the Government of India in the Ministry of Finance number GSR 228 (E) published in Part II, Section 3 (i) of the Gazette of India Extraordinary dated the 24th April, 1997, namely :—

In the said notification, to the Table of the headquarter and areas of jurisdiction, the following shall be added, namely :—

"Provided that a case where the accused is detained in the State/Union Territory falling in the jurisdiction of one Competent Authority and his illegally acquired properties or his relatives/associates are located in a place falling in the jurisdiction of other Competent Authority, shall be dealt by that Competent Authority in whose jurisdiction the accused is detained."

[F. No. 6(6)/97-CA]

MALA DUTT, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998